UPMP010007062026

Presented on : 17-02-2026
Registered on : 19-02-2026
Decided on : 02-07-2026
Duration : 0 years, 4 months, 13 days

न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मैनपुरी।
(Presided Over by Rupesh Ranjan)

Reg no 63/2026

स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र संख्या 22/2026

गुड्डी देवी पुत्री स्व. श्री रामगोपाल निवासी कटरी सथरा थाना राजेपुर,जिला फर्रूखाबाद।

..... आवेदिका/परिवादिनी

बनाम

1– सर्वेश सिंह पुत्र गिरन्द सिंह निवासी ग्राम किशनपुर थाना कुर्रा,जिला मैनपुरी।

2–श्रीमती पत्नी रामबहादुर निवासी ग्राम किशनपुर थाना कुर्रा,जिला मैनपुरी।

3– गुडडू पुत्र मानसिंह निवासी ग्राम किशनपुर थाना कुर्रा,जिला मैनपुरी।

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, विपक्षीगण।

02–07–2026

1. पत्रावली वास्ते आदेशार्थ आज मेरे समक्ष पेश हुई। विगत तिथि पर आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता को स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र पर सुना जा चुका है।

2– आवेदिका की ओर से स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थिनी/परिवादिनी के मुकदमें में दिनांक 29.01.2026 वास्ते बहस नियत थी। प्रार्थिनी/परिवादिनी न्यायालय में उपस्थित आयी तो प्रार्थिनी को उपरोक्त मुकदमें का अभियुक्त सर्वेश सिंह मिला उसने प्रार्थिनी को धमकी दी कि मैं अपना मुकदमा न्यायालय जे.एम. / अतिरिक्त सिविल जज (अवर वर्ग) कोर्ट संख्या 7 मैनपुरी से दोष मुक्त करा लूँगा और मेरी पी.ओ. महोदय से बात हो गई है। न्यायहित में प्रार्थिनी की पत्रावली न्यायालय जे.एम/अतिरिक्त सिविल जज (अवर वर्ग) कोर्ट संख्या 7 मैनपुरी से स्थानान्तरित करके किसी अन्य सक्षम अदालत में भेजने की याचना की गई है।

3– प्रार्थना पत्र के संदर्भ में सम्बन्धित न्यायालय से आख्या मंगाई गयी। अपर सिविल जज (अवर वर्ग), कोर्ट संख्या–7, मैनपुरी द्वारा यह आख्या दी गयी है कि,'वाद संख्या 940/2025 गुड्डी देवी बनाम सर्वेश की पत्रावली इस न्यायालय में लंबित है जो कि अंतिम बहस के स्तर पर लंबित है। उक्त पत्रावली को अपर सिविल जज (अवर वर्ग), कोर्ट संख्या–7, मैनपुरी की कोर्ट से स्थानान्तरित कर दिया जाता है, तो इस पर अधोहस्ताक्षरी को कोई आपत्ति नहीं है।'

4– आवेदिका की ओर से प्रस्तुत स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र में मुख्य रूप से यह कथन किया गया है कि उपरोक्त वाद के अभियुक्त द्वारा उसे धमकी दी गई है। आवेदिका के अनुसार, अभियुक्त का कहना है कि उसकी पीठासीन अधिकारी से बात हो गई है और वह अपना वाद न्यायालय जे.एम. / अतिरिक्त सिविल जज (अवर वर्ग) कोर्ट संख्या 7 मैनपुरी से दोषमुक्त करा लेगा। परन्तु उक्त तथ्य की पुष्टि हेतु कोई तर्कसंगत आधार प्रार्थिनी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रार्थिनी द्वारा सुनी सुनाई बातों के आधार पर व्यक्त संदेह मात्र पर किसी वाद के स्थानान्तरण का कोई कारण दृष्टिगत नहीं होता है,जब तक कि व्यक्त संदेह के पीछे कोई तर्कसंगत कारण/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जाता। लगाये गये आरोप साक्ष्यों के अभाव में सर्वथा औचित्यहीन एवं निराधार प्रतीत होते हैं। ऐसी स्थिति में, उक्त पत्रावली का किसी अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर प्रस्तुत आवेदन बलहीन होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य दृष्टिगत होता है।

<u>आदेश</u>

आवेदिका द्वारा योजित स्थानान्तरण प्रार्थना–पत्र बलहीन होने के कारण निरस्त किया जाता है।

रूपेश रंजन

जिला एवम सत्र न्यायाधीश,

मैनपुरी।

RUPESH RANJAN

Digitally signed by RUPESH RANJAN
Location: Mainpuri
Date: 2026.07.02 18:19:27 +0530